# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,राजसमंद
## ( नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित )
## पंचायत रिवीजन संख्या : 36/2025
## दायर दिनांक : 01.0.2025
## निर्णय दिनांक : 15.05.2026

**—: अनवान :—**

श्री तिलोक पिता उदयराम पूर्बिया गाडरी निवासी पिपली आचार्यन तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

**— निगराकार**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत पिपली आचार्यन जरिये ग्राम विकास अधिकारी पिपली आचार्यन तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत पिपली आचार्यन जरिये प्रशासक/सरपंच पिपली आचार्यन तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

**— गैर निगराकार**

**ग्राम पंचायत पिपली आचार्यन द्वारा पंचायती राज नियम 158 के तहत जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 29.01.2025 के विरूद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थितः—**

1— श्री मनीष जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पिपली आचार्यान तहसील कुंवारिया में आराजी नम्बर 2698 रकबा 1—15 बिघा भुमि पुर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान पिपली आचार्यान की स्थित रही। उक्त भुमि में से 1—10 बिघा भुमि को जरिये रूपान्तरण आदेश ग्रा. भु. रूपा./98/14 दिनांक 10/12/2014 से कृषि से आवासिय रूपान्तरण किया गया। जो रूपान्तरण किया उसके बाद रूपान्तरित आवासीय भुमि के आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 0. 2428 तथा शेष कृषि भुमि जो पश्चिमी भाग में बची उसके आराजी नम्बर 2698/2 रकबा 0.0405 बने। उक्त आवासिय रूपान्तरित भाग में से 80 गुणा 50 कुल 4000 यानि 4—12 बिस्वा भुमि समर्पण से ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान को की तथा ग्राम पंचायत ने उक्त 80 गुणा 50 वर्ग फिट भाग में जिला परिषद राजसमन्द की मद से वर्ष 2014—2015 में 4,00,000/— रूपये मगरा योजना में स्वीकृत करा यात्री प्रतिक्षालय पुर्बिया मौहल्ला का निर्माण कराया तथा शेष भाग में जिला परिषद के मद से 4,00,000/— रूपये एम.एल. योजना में वर्ष 2015—2016 में स्वीकृत करा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 1—10 बीघा यानि 0.2428 में से 0—04—12 बिस्वा यानि 0.0372 हेक्टेयर भुमी तो पुर्व में ही समर्पण से ग्राम पंचायत के पास थी उसके बाद आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 0. 2056 हेक्टेयर भुमि खातेदार के पास शेष रही। प्रार्थी निगराकार ने

विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा अन्य लोगो के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमन्द में दो सिविल वाद पेश कर रखे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० पेश किया जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा यह अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की वादग्रस्थ सम्पति सुरक्षित रखी जावे जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या 1 व 2 को शुरू से रही है। विपक्षीगण को न्यायालय के आदेश की जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त सम्पति आराजी संख्या 2698 रकबा 01–15 बिस्वा में से 01–10 बिस्वा भूमि यानि 2431 वर्गमीटर भूमि के संबंध में दिनांक 20.11.2024 को विपक्षीगण ने मिलीभगत कर पूर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान की सम्पति को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजुद भी जरिये समर्पण पत्र के वादग्रस्त भूमि को ग्राम पंचायत को समर्पण कर दी जो कि स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रकरण सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है। आराजी नम्बर 2698/1 आवासिय भुमि में से 0.04.12 बिस्वा यानि (0.0372 हैक्टेयर) भुमि समर्पण के पश्चात जो भुमि शेष रही वह 0.2056 हैक्टेयर ही भुमि शेष रही इसके बावजुद भी विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अन्य लोगो से मिलिभगत कर अवैध रूप से आराजी नम्बर 2698/1 का रकबा 0.2428 बता कर समर्पण कराया जो कि अवैध है। सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए भी तथा न्यायालय का स्थगन आदेश होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 व 2 समर्पण को आधार बना राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत पुर्बिया मोहल्ला सामुदायिक भवन विस्तार पिपली आचार्यान के नाम पट्टा संख्या 38 दिनांक 29.01.2025 जारी कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निगराकार यह निगरानी इन आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है कि आक्षेपित पट्टा जारी करने में विधि सम्बन्धित एवं तथ्य सम्बन्धित भुल की है। पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्ग गज यानि 2700 वर्गफिट भुमि से अधिक का पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त नही है उसके बावजुद भी अपने अधिकारो से परे जाकर जो आक्षेपित पट्टा 4000 वर्गफिट यानि 444 वर्गगज का पट्टा जारी किया जो कि अवैध है। आक्षेपित पट्टे के पश्चिम में आम रास्ता नहीं होकर आराजी नम्बर 2698/2 की भुमि है इसके बावजुद भी पश्चिम में आम रास्ता गलत रूप से अंकित कर जो आक्षेपित पट्टा जारी किया वह गलत है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान तहसील कुंवारिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 29/01/2025 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी निगरानीकार ने विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा अन्य लोगो के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमंद में दो सिविल वाद प्रस्तुत करना बता रहा है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० पेश किया जाना बता रहा है. जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित की हो कि वादग्रस्त सम्पति सुरक्षित रखी जावें, जिसकी कोई जानकारी विपक्षी संख्या 1 व 2 को नहीं है। क्योंकि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० मे तो पक्षकार थे, न ही विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी हो रखी है। प्रथम तो किसी भी न्यायालय ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कर रखी है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं की है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में पूर्बिया समाज सेवा संस्थान पीपली आचार्यान रजि० कमांक 33/राजसमंद



P.T.O.

/2014–15 तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद ने रजिस्टर्ड सर्मपण पत्र दिनांक 20.11.2024 को निष्पादित किया है, जो पूर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान पीपली आचार्यान जिला राजसमंद ने दिनांक 08.04.2024 को संस्थान की साधारण सभा बैठक आहुत कर नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर 50×80=4000 वर्गफीट भूमि ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद को समर्पण की है, जिस समर्पण को करने में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं कर रखा है। विपक्षीगण ने किसी भी प्रकार के न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। समर्पण जो किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है. उसमें किसी भी प्रकार के न्यायालय के आदेश की अवहेलना नही हुई है। समर्पण के पश्चात् 50×80=4000 वर्गफीट भूमि ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद के आधिपत्य की भूमि हो गई एवं ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया जिला राजमसंद को इस भूमि के संबंध में सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. चूंकि वादग्रस्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा यात्री प्रतिक्षालय एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज नियमों तहत पूर्विया मोहल्ला सामुदायिक भवन विस्तार पीपली आचार्यान के पक्ष में पट्टा जारी किया है. जो पट्टा विधि सम्वत् जारी किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी त्रिलोक पूर्विया को आपत्ति करने का ही कोई अधिकार नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम पिपली आचार्यान तहसील कुंवारिया में आराजी नम्बर 2698 रकबा 1–15 बिघा भुमि पुर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान पिपली आचार्यान की स्थित रही। उक्त भुमि में से 1–10 बिघा भुमि को जरिये रूपान्तरण आदेश ग्रा. भु. रूपा./98/14 दिनांक 10/12/2014 से कृषि से आवासिय रूपान्तरण किया गया। जो रूपान्तरण किया उसके बाद रूपान्तरित आवासीय भुमि के आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 0. 2428 तथा शेष कृषि भुमि जो पश्चिमी भाग में बची उसके आराजी नम्बर 2698/2 रकबा 0. 0405 बने। उक्त आवासिय रूपान्तरित भाग में से 80 गुणा 50 कुल 4000 यानि 4–12 बिस्वा भुमि समर्पण से ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान को की तथा ग्राम पंचायत ने उक्त 80 गुणा 50 वर्ग फिट भाग में जिला परिषद राजसमन्द की मद से वर्ष 2014–2015 में 4,00,000/– रूपये मगरा योजना में स्वीकृत करा यात्री प्रतिक्षालय पुर्बिया मौहल्ला का निर्माण कराया तथा शेष भाग में जिला परिषद के मद से 4,00,000/– रूपये एम. एल. योजना में वर्ष 2015–2016 में स्वीकृत करा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 1–10 बीघा यानि 0.2428 में से 0–04–12 बिस्वा यानि 0.0372 हेक्टेयर भुमी तो पुर्व में ही समर्पण से ग्राम पंचायत के पास थी उसके बाद आराजी नम्बर 2698/1 रकबा 0. 2056 हेक्टेयर भुमि खातेदार के पास शेष रही। प्रार्थी निगराकार ने विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा अन्य लोगो के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमन्द में दो सिविल वाद पेश कर रखे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० पेश किया जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा यह अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की वादग्रस्थ सम्पति सुरक्षित रखी जावे जिसकी जानकारी विपक्षी संख्या 1 व 2 को शुरू से रही है। विपक्षीगण को न्यायालय के आदेश की जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त सम्पति आराजी संख्या 2698 रकबा 01–15 बिस्वा में से 01–10 बिस्वा भूमि यानि 2431 वर्गमीटर भूमि के संबंध में दिनांक 20. 11.2024 को विपक्षीगण ने मिलीभगत कर पूर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान की सम्पति को न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजुद भी जरिये सर्मपण पत्र के वादग्रस्त भूमि को ग्राम पंचायत को

P.T.O.

सर्मपण कर दी जो कि स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना का प्रकरण सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है। उक्त भुमि का समर्पण किया वह न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर किया जो कि अवैध है तथा पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार भी आराजी नम्बर 2698/1 आवासिय भुमि में से 0. 04.12 बिस्वा यानि (0.0372 हैक्टेयर) भुमि समर्पण के पश्चात जो भुमि शेष रही वह 0.2056 हैक्टेयर ही भुमि शेष रही। आक्षेपित पट्टा जारी करने में विधि सम्बन्धित एवं तथ्य सम्बन्धित भुल की है। पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्ग गज यानि 2700 वर्गफिट भुमि से अधिक का पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त नही है उसके बावजुद भी अपने अधिकारो से परे जाकर जो आक्षेपित पट्टा 4000 वर्गफिट यानि 444 वर्गगज का पट्टा जारी किया । आक्षेपित पट्टे के पश्चिम में आम रास्ता नहीं होकर आराजी नम्बर 2698/2 की भुमि है इसके बावजुद भी पश्चिम में आम रास्ता गलत रूप से अंकित कर जो आक्षेपित पट्टा जारी किया वह गलत है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पिपली आचार्यान तहसील कुंवारिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 29/01/2025 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी निगरानीकार ने विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा अन्य लोगो के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमंद में दो सिविल वाद प्रस्तुत करना बता रहा है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० पेश किया जाना बता रहा है. जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित की हो कि वादग्रस्त सम्पति सुरक्षित रखी जावें, जिसकी कोई जानकारी विपक्षी संख्या 1 व 2 को नहीं है। क्योंकि विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रकरण संख्या 121/2016 मु०दी० मे न तो पक्षकार थे, न ही विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी हो रखी है। प्रथम तो किसी भी न्यायालय ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कर रखी है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के पक्ष में पूर्बिया समाज सेवा संस्थान पीपली आचार्यान रजि० कमांक 33/राजसमंद /2014–15 तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद ने रजिस्टर्ड सर्मपण पत्र दिनांक 20.11.2024 को निष्पादित किया है, जो पूर्बिया गाडरी समाज सेवा संस्थान पीपली आचार्यान जिला राजसमंद ने दिनांक 08.04.2024 को संस्थान की साधारण सभा बैठक आहुत कर नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर 50×80=4000 वर्गफीट भूमि ग्राम पंचायत पीपली आचायर्थीन तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद को समर्पण की है, जिस समर्पण को करने में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं कर रखा है। विपक्षीगण ने किसी भी प्रकार के न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। समर्पण जो किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है. उसमें किसी भी प्रकार के न्यायालय के आदेश की अवहेलना नही हुई है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा यात्री प्रतिक्षालय एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ने नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज नियमों तहत पूर्विया मोहल्ला सामुदायिक भवन विस्तार पीपली आचार्यान के पक्ष में पट्टा जारी किया है. जो पट्टा विधि सम्वत् जारी किया गया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से खारीज फरमाई जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त निगरानी में निगराकार का मुख्य रूप से यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमन्द में दो सिविल वाद प्रस्तुत किए जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण



P.T.O.

संख्या 121/2016 मु0दी0 में स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर वादग्रस्त सम्पति सुरक्षित रखने के आदेश होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक भवन के नाम पर पट्टा जारी कर दिया गया जो नियमों के विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे। परन्तु प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजसमन्द में जो वाद इस भूखण्ड के संबंध में दायर था उसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पक्षकार नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश से किसी प्रकार कि बाध्यता नहीं होने से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत पूर्बिया मोहल्ला सामुदायिक भवन विस्तार हेतु दिनांक 29.01.2025 को राजकीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किया है। जो ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमावली 1996 के प्रावधानो के तहत जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत पीपली आचर्यान द्वारा पंचायतीराज नियमों के तहत विधिवत् जारी किया जाना पाया जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## : आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

15/05/26

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

**निर्णय आज दिनांकः 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

15/05/26

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द